न्यायालय उपखण्ड अधिकारी,नैनवॉ जिला बून्दी(राज0)

प्रार्थना–पत्र संख्या :–92 / 2023 दायर दिनांक–13.06.2023

GCMS NO:- 2023/169 पीठासीन अधिकारी :– श्रीमती प्रीति मीणा

1. उच्छबलाल पुत्र दुर्गा जाति गुर्जर नि0 मोडसा तहसील नैनवॉ।
2. कस्तुरी पुत्री दुर्गा पत्नी भंवरलाल जाति गुर्जर नि0 नाथडा तहसील नैनवॉ।
3. गोमदी पुत्री दुर्गा जाति गुर्जर नि0 मोडसा तहसील नैनवॉ।
4. गोविन्दा पुत्र दुर्गा जाति गुर्जर नि0 मोडसा तहसील नैनवॉ।
5. प्रहलाद पुत्र दुर्गा जाति गुर्जर नि0 मोडसा तहसील नैनवॉ।
6. प्रहलादी पुत्री दुर्गा पत्नी दल्ला जाति गुर्जर नि0 किशनगंज तहसील नैनवॉ।

प्रार्थीगण

बनाम

राजस्थान सरकार द्वारा भूमिधारी तहसीलदार साहब, तहसील नैनवॉ जिला बून्दी।

अप्रार्थी

प्रार्थना पत्रः– अंतर्गत धारा 111, 128 एल आर एक्ट

उपस्थितिः–

प्रार्थी की ओर से अभिभाषक श्री भारत भुषण गौत्तम।

निर्णय दिनांक 11.06.2025

संक्षेप में प्रार्थना पत्र का कथन इस प्रकार है कि ग्राम मोडसा (नया) तहसील नैनवॉ के खाता संख्या नया 5 पुराना 7 के खसरा नम्बर 1531 / 1231 रकबा 0.3236 हैक्टयर जिसके खातेदार कृषक प्रार्थी संख्या 1 उच्छबलाल दर्ज है। इसी प्रकार खाता संख्या नया 65 पुराना 52 के खसरा नम्बर 1539 / 1231 रकबा 0.8090 हैक्टयर, खसरा नम्बर 1537 / 66 रकबा 0.1618 हैक्टयर जिसके खातेदार प्रार्थी संख्या 4 गोविन्दा दर्ज है। इसी प्रकार खाता संख्या नया 64 पुराना 64 के खसरा नम्बर 788 रकबा 0.3236 हैक्टयर जिसके खातेदार कृषक प्रार्थी संख्या 4 गोविन्दा दर्ज है। इस प्रकार खाता संख्या नया 60 पुराना 62 के खसरा नम्बर 95 रकबा 0.3034 हैक्टयर जिसके सहखातेदार प्रार्थीगण 1 लगायत 6 दर्ज है। इसी प्रकार खाता संख्या नया 62 पुराना 63 के खसरा नम्बर 782 रकबा 0.4288 हैक्टयर, खसरा नम्बर 789 रकबा 0.3236 हैक्टयर, खसरा नम्बर 90 रकबा 0.7686 हैक्टयर, खसरा नम्बर 91 रकबा 0.0324 हैक्टयर भूमि जिसके खातेदारान प्रार्थीगण संख्या 1 लगायत 6 दर्ज है।

यह कि प्रार्थना पत्र की चरण संख्या 1 लगायत 5 मे वर्णित कृषि भूमियों के प्रार्थीगण उक्तानुसार सहखातेदारान एवं प्रार्थीगण है जो बहैसियत अपने अपने हिस्से की भूमियों पर काबिज होकर उपयोग व उपभोग करते चले आ रहे है। यह कि प्रार्थीगण के खाते की उक्त वर्णित भूमियों के पडोसी खातेदार अपनी अपनी कृषि भूमियों से आगे बढकर प्रार्थीगण की भूमियों को अपनी भूमियों मे मिलाना चाहते है। आये दिन प्रार्थीगण व पडौसियों के मध्य विवाद होता है। प्रार्थीगण ऐसा करने से मना करते है तो विवाद होता है जिससे उक्त भूमियों की पत्थरगढी करवाया जाना आवश्यक हो गया है। प्राथीगण ने अप्रार्थी तहसीलदार साहब से कई मर्तबा निवेदन किया लेकिन उन्होने दिनांक 4.3.2023 को कार्यवाही नही कर प्रार्थीगण को साफ तौर से कह दिया कि एसडीओ साहब के यहां दावा प्रस्तुत करों। यही प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करने का कारण है। प्रार्थीगण ने अपने प्रार्थना पत्र के समर्थन में शपथ पत्र, नकल जमाबन्दी की प्रति पेश कर धारा 111, 128 एलआर एक्ट के अन्तर्गत प्रार्थना पत्र पेश पत्थरगढी करवाये जाने का निवेदन किया।

प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थी को जरिये नोटिस तलब किया गया।

प्रार्थीगण अधिवक्ता द्वारा आज समक्ष न्यायालय उपस्थित होकर दिनांक 29.5.2025 को किये गए सीमाज्ञान की प्रति पेश की गयी। हमने पत्रावली मे संलग्न दस्तावेजों का अवलोकन किया तथा पाया कि प्रार्थना पत्र को चलते लगभग 2 वर्ष का समय हो चुका है जबकि यह एक समरी ट्रायल प्रार्थना पत्र है तथा उक्त भूमि का सीमाज्ञान भी हो चुका है अतः प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर तहसीलदार नैनवॉ को इस आशय के साथ आदेशित किया जाता है कि ग्राम मोडसा

(नया) तहसील नैनवॉ के खाता संख्या नया 5 पुराना 7 के खसरा नम्बर 1531/1231 रकबा 0. हैक्टयर भूमि, खाता संख्या नया 65 पुराना 52 के खसरा नम्बर 1539/1231 रकबा 0.8090 हैक्टयर खसरा नम्बर 1537/66 रकबा 0.1618 हैक्टयर भूमि, खाता संख्या नया 64 पुराना 64 के खसरा नम्बर 788 रकबा 0.3236 हैक्टयर भूमि, खाता संख्या नया 60 पुराना 62 के खसरा नम्बर 95 रकबा 0.3074 हैक्टयर भूमि, खाता संख्या नया 62 पुराना 63 के खसरा नम्बर 782 रकबा 0.4288 हैक्टयर, खसरा नम्बर 789 रकबा 0.3236 हैक्टयर, खसरा नम्बर 90 रकबा 0.7686 हैक्टयर, खसरा नम्बर 91 रकबा 0.0324 हैक्टयर भूमि पर प्रार्थीगण का यदि संपूर्ण हिस्से पर कब्जा पाया जाता है तो नायब तहसीलदार अथवा भू–अभिलेख निरीक्षक स्तर के अधिकारी की टीम गठित कर व आवश्यक हो तो पुलिस इमदाद प्राप्त कर 1000/– रूपये अक्षरे एक हजार रूपये शुल्क राजकोष में जमा कराने पर पत्थरगढी किये जाने के आदेश दिये जाते है।

निर्णय आज दिनांक 11.06.2025 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर हस्ताक्षर कर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
नैनवा